131

83(5)/80-7

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

30 JUL 2013

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/15363/1282 दिनांकः– 19.02.13

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत राजगीर के वर्ष 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 546/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,
19/02/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

3998(S)
31/7/13

50-7
11/9/13
श्री रंजीत 118

30/7/13 134 5/8/13

# नगर पंचायत, राजगीर
## अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 546/12–13
## (अवधि –2011–12)

### 1. प्रस्तावना

राजगीर नगर पंचायत के वर्ष 2011–12 के लेखाओं की नमूना जांच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 11.12.2012 से 19.12.2012 तक की अवधि में किया गया।

### 2. प्रशासन

| | कार्यपालक पदाधिकारी | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री संतोष कुमार | 01.04.2011 से 31.03.2012 तक |
| | **अध्यक्ष** | **अवधि** |
| 1 | श्रीमति शकुन्तला देवी | 01.04.2011 से 27.09.2011 तक |
| 2 | श्रीमति देवयानी आर्या | 28.09.2011 से 31.03.2012 तक |
| | **उपाध्यक्ष** | **अवधि** |
| 1 | श्री श्यामदेव राजवंशी | 01.04.2011 से 27.09.2011 तक |
| 2 | श्री अनिल कुमार | 28.09.2011 से 31.03.2012 |

### 3. अंकेक्षण की परिसीमा

अंकेक्षण में जांच किए गए अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अंकेक्षण में उपस्थिति नहीं किए गए अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

### 4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत, राजगीर में अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाये कंडिकाओं का विवरण उपलब्ध नहीं था। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि अभी तक कितने प्रतिवेदनों की कितनी कंडिकाये अनुपालन हेतु लंबित थी। वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाये कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके कारण बकाये कंडिकाओं का अनुपालन नहीं हो सका।

अतः अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीघ्र इसे कार्यालय को भेजा जाए।

**5. अधिदृश्य**

नगर पंचायत, राजगीर मुख्यतः सरकार से प्राप्त अनुदानों से वित्तपोषित था। नगर पंचयात के स्वयं के स्रोतों से आय बहुत ही कम था। मुख्य स्रोतों कर, सैरात की बंदोबस्ती से बहुत ही कम राशि वसूल की गयी थी। कई करों यथा भयावह एवं खतरनाक व्यवसाय पर कर, टिन टिकट पंजीकरण, मोबाईल टाबरों, से वसूली इत्यादि का या तो अधिरोपण नहीं किया गया था अथवा इसकी वसूली नहीं की जा रही थी।

वित्त वर्ष 2011–12 में सामान्य रोकड़–बही एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान विधि के रोकड़–बही के अनुसार संव्यवहार निम्न प्रकार था:–

| | 01.04.2011 को पूर्वशेष | वर्ष के दौरान प्राप्ति | कुल प्राप्ति | वर्ष के दौरान व्यय | 31.03.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य रोकड़--बही | 92,94,948.00 | 16,84,47,82.00 | 17,77,42,23.00 | 15,68,9315.00 | 20,84,90,80.00 |
| पि0क्षे0अ0नि0 | 2805577.00 | 2807672.00 | 56132449.00 | 2207627.00 | 3425622.00 |
| कुल योग | 12100252.00 | 171254954.00 | 183355472.00 | 159080777.00 | 24274702.00 |

इन राशियों के अतिरिक्त राशि यथा बेरियर लेखा इत्यादि का रोकड़–बही अंकक्षेण में प्रस्तुत नहीं दिया गया अर्थात संपूर्ण संव्यवहार को ज्ञान नहीं किया जा सका। अभिलेखों एवं संचिकाओं के आधार पर 23 खातों का संचालन इस नगर पंचायत में पाया गया। कुल कितने खाते यहाँ संचालित थे, अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

इस वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत को रू0 15.10 करोड़ नगर पंचायत विकास विभाग, बिहार सरकर से ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम हेतु प्राप्त हुआ था जिसे BUIDCO को स्थानांतरित कर दिया गया था।

नगर पंचायत को स्वयं के स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय को बढ़ाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही, प्राप्त हुए अनुदानों को निर्धारित समय सीमा में उपयोग करने की आवश्यकता है।

## 6. कोषागार एवं अन्य बैंक खाताओं का शेष

नगर पंचायत राजगीर में लेखापाल रोकड़बही एवं रोकड़पाल रोकड़बही का संधारण नहीं किया गया था। अंकेक्षण में सिर्फ दो रोकड़बहियों को प्रस्तुत किया गया। एक रोकडबही जो रोकड़बही के सामान्य प्रारूप में लिखा गया था, में सरकार से प्राप्त हुए अनुदानों तथा नगर पंचायत के स्वयं के स्रोतों के प्राप्त राशियों को दर्शाया गया था एवं उससे संबंधित व्ययों को इससे किया गया था। दूसरे रोकड़बही में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के प्राप्ति एवं व्ययों को दर्शाया गया था। अभिलेखों एवं संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि नगर पंचायत कार्यालय में अन्य रोकडबहियों एवं खाताओं के माध्यम से भी संव्यवहार किया गया था अथवा उसमें अवशेष पड़ी थी। लेखा परीक्षा आपत्ति के उत्तर मे दी गयी सूचना के आधार पर जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| क्र0 सं0 | बैंक खाता सं0 | बैंक का नाम | 31.03.12 अवशेष | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कोषगार पी0 एल0 ए0 एकाउन्ट 004 | कोषागार खाता | 20849047.00 | पासबुक नहीं प्रस्तुत किया गया। लेखा परीक्षा आपत्ति के उत्तर में केवल अवशेष बताया गया। |
| 2 | 12611 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया राजगीर | 45092<br>12609<br>142254 | 11 बीं एवं 12 बीं वित्त की राशि। |
| 3 | 12612 / 1560639701 | –तथैव– | 977310.00 | स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। |
| 4 | 12613 / 1560639712 | –तथैव– | 2,87,513.00 | इसमें जॉर्ज फर्नाडिस द्वारा अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान एवं सक्शन मशीन से संबंधित राशि रखी गयी थी। |
| 5 | 11806 / 1560632241 | –तथैव– | 3,70,128.00 | प्रशासनिक भवन निर्माण की राशि। अभी तक प्रशासनिक भवन बना नही है। |
| 6 | 44221011000 / 2887 | बैंक ऑफ इंडिया, आयुद्ध फैक्ट्री, राजगीर | 29,22,490.00 (31.03.11) | प्रशासनिक भवन की राशि |
| 7 | 11489 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया | 18,00,000.00 | लधु एवं मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना की |

127

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | राजगीर | | राशि।(IDSMT) |
| 8 | 01000007243 | भारतीय स्टेट बैंक " | प्रस्तुत नहीं | राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम |
| 9 | 65 | कोऑपरेटिव बैंक " | 12,607.00 | बस पड़ाव लेखा |
| 10 | 3019648803 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया " | 19,11,102.00 | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निजि |
| 11 | 3035311696 | –तथैव– | 20,89,674.00 | मुख्यमंत्री नगर विकास |
| 12 | C –5751 | भारतीय स्टेट बैंक " | प्रस्तुत नहीं | स्वर्ण जयंती शहरो रोजगार योजना |
| 13 | 1560627059 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया " | 4,55,281.00 | बेरियर लेखा |
| 14 | 30943817121 | भारतीय स्टेट बैंक | 30,376.00 | क्बीर अंत्येष्टि |
| 15 | 31036804251 | –तथैव– | 1,431.00 | आलू, प्याज अनुदान सब्सीडि की राशि |
| 16 | 71860100024140 | माध्यम विहार ग्रामीण बैंक | 13,309.00 | –तथैव– |
| 17 | 71900100092676 | –तथैव– | 48,338.00 | राशन कार्ड वितरण |
| 18 | 11384967569 | भारतीय स्टेट बैंक, राजगीर | 618,241.63 | जिला PLA एवं संवेदक निबंधन अग्रधन की राशि |
| 19 | 30335600696 | –तथैव– | 26,174.00 | सांसद मद |

उपरोक्त खातों में से कई खातों में राशियों का विवरण अंकेक्षण में बतलाया जाए। इसके अतिरिक्त कितने बैंक खाता बहीं रोकड़बही नगर पंचायत कार्यालय में व्यवहृत था, का भी विवरण अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः सभी खाताओं एवं रोकड़ बहियों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

## 7. रोकड़बही की त्रुटियों

नगर पंचायत राजगीर में पी0एल0 खाता का संधारण लेखापाल रोकड़बही के प्रारूप में नहीं किया गया था रोकड़पाल रोकड़बही का भी संधारण इस नगर पंचायत में नहीं किया गया था पी0 एल0 खाता का संधारण एक सामान्य प्रारूप के रोकड़बही (जो बाजार में उपलब्ध है) में किया गया था जिसमें दर्ज प्रतित्रुटियों के अनुसार संव्यवहार निम्नवत था–

| | रोकड़बही के अनुसार | अंकेक्षण के अनुसार | अंतर |
|---|---|---|---|
| 01.04.11 को पूर्वशेष | 92,94,948.00 | 92,94,948.00 | शून्य |
| वर्ष के दौरान प्राति | 16,84,47,282.00 | 92,94,948.00 | शून्य |
| कुल प्राप्ति | 17,77,42,230.00 | 17,77,42,230.00 | शून्य |
| वर्ष के दौरान व्यय | 15,68,93,180.00 | 15,68,93,150.00 | रु0 30.00 |
| 31.03.12 को अंतशेष | 2,08,49,050.00 | 2,08,49,080.00 | रु0 30.00 |

इस राशि को कोषागार खाते में जमा बतलाया गया, जिसका पासबुक अथवा विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अभाव में समाधान विवरणी तैयार नहीं किया जा सका तथा अंतर (रोकड़बही एवं कोषागार) की राशि को ज्ञात नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त इस रोकड़बही में निम्न त्रुटियाँ पायी गयी–

1. माहवार प्राप्ति एवं व्यय (भुगतान) आमने–सामने के पृष्ठ पर दर्ज नहीं थे। यथा जुलाई माह की प्राप्ति के सामने वाले पृष्ठ पर मई माह का व्यय दर्शाया गया था।
2. माहवार अथवा वर्षबार प्राप्ति एवं भुगतान का सार मदवार नहीं बनाया गया था। इसके कारण किस मद में क्या प्राप्ति हुयी तथा किस मद में कितना व्यय हुआ तथा वर्ष के अंत में कितना अतंशेष था, ज्ञात नहीं किया जा सका।
3. आय एवं व्यय का शीर्ष रोकड़वही में नहीं दर्शाया गया था।
4. रोकड़वही का मासिक प्रारंभ शेष एवं अंतशेष नहीं दर्शाया गया था।
5. रोकड़वही में न तो मदों का शीर्ष दर्ज था तथा न ही अनुदानों का सहायक रोकड़वही अथवा अनुदान पंजी संधारित किया गया था।
6. रोकड़वही के व्यय भाग में पृष्ठ सं0 127 पर दैनिक योग रु0 7,63,328.00 था, जबकि रोकड़वही में रु0 7,63,358.00 दर्शाया गया था अर्थात रु0 30.00 अधिक व्यय दर्शाया गया था। जवाब में नगर पंचायत द्वारा भविष्य में सुधार करने की बात कही गई है।

नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि लेखापाल रोकड़वही का संधारण किया जाए। साथ ही, उपरोक्त त्रुटियों को दूर किया जाए।

125

## 8. महत्वपूर्ण कंडिकाओं की सूची

| क्रम सं0 | कंडिका सं0 | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 9 | बजट प्राक्कलन (रु0 15.91 करोड़) |
| 2 | 14 | तेरहवें वित्त आयोग का गलत उपयोगिता भेजना। |
| 3 | 16(ii) & (iii) | जल कर एंव महत्वपूर्ण करों का अधिरोपन नहीं किया जाना |
| 4 | 16(v) & (vi) | विरायतन एवं इण्डो होक्के होटल पर कर बकाया। |
| 5 | 18(ii) | सैरातों की बंदोबस्ती में राजस्व हानि, (₹39437.00) |
| 6 | 19 | मोबाईल टावर पर बकाया राशि(10.82 लाख) |
| 7 | 20(i) | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अंतर्गत योजनाओं का चयन नहीं। |
| 8 | 20(iii) | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से रु0 19605400 का विचलन। |
| 9 | 21(i) | संवेदकों से विलम्ब क्रियान्वयन के लिए क्षतिपूर्ति की कटौती नहीं रु0 1,15,854/– |
| 10 | 21(iii) | योजनाओं पर भुगतान में श्रम सेस की कटौती नहीं |
| 11 | 22 | बोर्ड से बिना पारित किये रु0 659 लाख का डस्टबीन क्रय रू0 629842/– |
| 12 | 23 | सी0एफ0एल0 क्रय में अनियमितता रू0 450000/– |

## 9. बजट प्राक्कलन

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 84 में नगर पालिका के बजट प्राक्कलन को तैयार करने तथा उसे सरकार के पास अंगीकृत करने से संबंधित प्रावधान दिये गये है। लेकिन नगर पंचायत, राजगीर के बैठक पंजी की जांच में पाया गया कि मार्च 2010 से 27.03.2012 तक की अवधि में हुए बैठकों में से किसी में भी बजट प्राक्कलन को चर्चा के लिए नहीं रखा गया था और न ही उसे

पारित किया गया था। अर्थात नगर पंचायत बोर्ड द्वारा बगैर बजट पारित किये वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल रु0 15.91 करोड़ का व्यय किया गया था, जो अनियमित था। दिनांक 28.09.2011 को बोर्ड के अविश्वास प्रस्ताव सं0–03 के भाग–7 में यह उल्लेख किया गया है कि "नगर पंचायत, राजगीर में आय बजट सत्र 2011–12 बिना पास किये अंधाधुन राशि की निकासी की जा रही है।" अर्थात् बजट न बनाये जाने की पुष्टि करना है।

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 का बजट बोर्ड से नहीं पास कराने का कारण बोर्ड में अविश्वास प्रस्ताव आना बताया गया एवं जवाब में बताया गया कि भविष्य में सुधार कर लिया जाएगा। अतः बिना बजट पारित किये व्यय करने की प्रकृत्ति पर रोक लगायी जानी चाहिए।

**10. वार्षिक लेखा का संधारण नहीं**

नगर पंचायत राजगीर में वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था। प्रत्येक नगर पालिका को बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली में दिये गये प्रारूप में वार्षिक लेखा का संधारण करना है, जिसके आधार पर ही नगरपालिका में प्राप्त होने वाले राजस्वों एवं अनुदानों तथा नगरपालिका निधि से किये जाने वाले व्यय के ब्योरे दर्ज होते हैं और इसके आधार पर ही अगले वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जाता है।

नगर पंचायत द्वारा वार्षिक लेखा संधारण नहीं किये जाने के कारण मदवार प्राप्ति एवं व्ययों का विवरण अंकेक्षण में ज्ञात नहीं हो सका। इसके अभाव में यह भी ज्ञात नहीं किया जा सका कि नगर पंचायत के स्वयं के स्रोतों से किन–किन करो से कितनी राशि वर्ष 2011–12 में प्राप्त हुई। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब में वार्षिक लेखा का संधारण भविष्य में करने की बात कही गई।

अतः इसका संधारण कर इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखलाया जाए।

**11. अनुदान**

नगर पंचायत, राजगीर में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया है। इसके कारण इस कार्यालय में पूर्व के विभिन्न अनुदानों की अवशेष पड़ी राशि (31.03.2011) ज्ञात नहीं हो सकी। साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में किस मद में कितनी राशि व्यय की गयी है। पी0एल0 खाता की रोकड़–बही एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की रोकड़–बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 में नगर पंचायत को निम्न अनुदान प्राप्त हुए :–

| क्र. स. | रोकड़–बही में प्राप्ति की तिथि | विभाग जिससे प्राप्त हुआ | अनुदान का पत्रांक सं0/दिनांक | अनुदान की मद | प्राप्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2011 | सहायक निबंधन महानिरीक्षक | 216/23.03.11 | मुद्रांक शुल्क | 30,70,521.00 |

123

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.11.2011 | नगर विकास एवं आवस विभाग, पटना | 21 / 04.08.11 | तेरहवाँ वित्त (प्रथम किस्त) | 12,00,000.00 |
| 3. | 21.11.2011 | नगर विकास एवं आवस विभाग, पटना | 24 / 23.08.11 | सहायक अनुदान प्राथमिक कार्य हेतु (तेरहवां वित्त की अवशेष) | 2,00,000.00 |
| 4. | 15.03.2012 | नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना | 50 / 06.02.12 | ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम हेतु अनुदान | 15,10,000,00.00 |
| 5. | 15.03.2012 | सहायक निबंधन महानिरीक्षक | 24448 / 09.09.11 | मुद्रांक शुल्क | 13,72,450.00 |
| 6. | 28.03.2012 | नगर विकास एवं आवस विभाग, पटना | 58 / 13.03.12 | तेरहवां वित्त (द्वितीय किस्त) | 14,17,000,00 |
| 7 | 29.03.2012 | नगर विकास एवं आवस विभाग, पटना | 60 / 19.03.12 | चतुर्थ राज्य वित्त | 32,46,229.00 |
| 8. | 29.03.2012 | नगर विकास एवं आवस विभाग, पटना | 60 / 19.03.12 | चतुर्थ राज्य वित्त | 23,69,619.00 |
| 9. | 29.03.2012 | नगर विकास एवं आवस विभाग, पटना | 61 / 19.03.12 | अन्य मद | 20,00,000.00 |
| 10. | 29.03.2012 | नगर विकास एव आवस विभाग, पटना | 58 / 26.03.12 | कम्प्यूटरीकृत तकनीक हेतु | 78,979,00 |
| 11 | 29.03.2012 | जिला परिषद, नालन्दा | अनुपलब्ध | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि | 12,41,030,00 |
| 12. | 29.03.2012 | जिला परिषद, नालन्दा | अनुपलब्ध | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि | 15,29,028.00 |
| | | | | | 16,95,855,00 |

उपरोक्त प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितनी राशि व्यय की गयी की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि रोकड़–बही में व्यय का शीर्ष अथवा मद नहीं दर्शाया गया था।

नगर पंचायत राजगीर द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण कर लिया जायेगा।

अतः अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकक्षेण में दिखालया जाय।

**12. ऋण दायित्व से संबंधित पंजी का संधारण नहीं**

नगर पंचायत, राजगीर में ऋण दायित्व से संबंधित पंजी संधारित नहीं होने के कारण दायित्वों को ज्ञात नहीं किया जा सका। सरकार के द्वारा पूर्व के वर्षों में नगर पंचायत को ऋण प्रदान किये जाते रहे हैं, जिसमें निर्धारित दर से ब्याज भुगतान किया जाना है। ऋण दायित्व की गणना नहीं की जा सकी। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि मार्च 12 तक नगर पंचायत कार्यालय पर कितना ऋण बकाया था तथा इसके अतिरिक्त अन्य कौन से दायित्वों की पूर्ति नगर पंचायत कार्यालय द्वारा किया जाना बाकी है। नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि भविष्य में संबंधित पंजी का संधारण कर लिया जाएगा।

अंतः दायित्वों से संबंधित अभिलेखों को संधारित कर अगले लेखापरीक्षा में दिखलाया जाए।

**13. ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम हेतु अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं प्राप्त करना**

बिहार सरकार के नगरर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्रांक सं0– 50 दिनांक 06.02.12 से नगर पंचायत राजगीर को कुल रु0 15.10 करोड़ ड्रेनेज एवं सिवरेज सिस्टम हेतु अनुदान प्राप्त हुआ था। इस राशि को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा चेक सं0– A 376124 दिनांक 15.03.12 द्वारा कार्यकारी एजेन्सी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (BUIDCO) पटना को स्थानांतरित निम्न विपत्रों से किया गया थाः–

| विपत्र सं0 | राशि |
|---|---|
| विपत्र कोड P2215028000102 | 8,50,000,00.00 |
| P2215027890101 | 60000000.00 |
| P2215027960103 | 60,00,000.00 |
| योग :– | 15,10,00,000.00 |

इस राशि का उपयोग BUIDCO द्वारा निर्धारित प्रयोजन के लिए किया जा रहा था अथवा नहीं से संबंधित दस्तावेज नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। सरकार द्वारा अनुदान पत्र में निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक तीन माह पर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है लेकिन नगर पंचायत कार्यालय द्वारा BUIDCO से कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र की मॉग नहीं की गयी थी। इसके कारण इस राशि की उपयोगिता एवं योजना के भौतिक प्रगति की जानकारी अंकेक्षण में नहीं ज्ञात हो

सका। उपयोगिता प्रमाण–पत्र की माँग नहीं करने के कारणो से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। नगर पंचायत द्वारा जवाब में कहा गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र BUIDCO से प्राप्त कर निर्देशानुसार सरकार को भेजी जाए तथा इसकी प्रतियों को अगले अंकेक्षण में भी दिखलाया जाए।

**14. तेरहवें वित्त आयोग का गलत उपयोगिता भेजना**

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सरकार को भेजे गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की जॉच में पाया गया कि तेरहवे वित्त आयोग की प्राप्त संपूर्ण राशि का उपयोगिता कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत राजगीर द्वारा दिनांक 20.07.12 को सरकार को भेजी गयी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| क्र0 सं0 | अनुदान प्राप्ति का पत्र सं0 / दिनांक | प्राप्त राशि (लाख रू में) | उपयोगिता के अनुसार व्यय की गयी राशि (लाख रू में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4713 / 17.8.10 | 11.00 | 11.00 |
| 2 | 1837 / 30.3.11 | 11.03 | 11.03 |
| 3 | 21 / 4.8.11 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 24 / 24.8.11 | 02.00 | 02.00 |
| 5 | 58 / 13.3.12 (उपयोगिता में 53 / 13.3.12) दर्ज है | 14.17 | 14.17 |

उपरोक्त ऑकड़ों से स्पष्ट है कि मार्च 12 तक प्राप्त सभी अनुदानों का संपूर्ण उपयोग दिनांक 28.07.12 तक कर लिया गया था। लेकिन नगर पंचायत के पत्रांक 528 दिनांक 2.11.12 द्वारा उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का पेषित पत्र के अनुसार 31.3.12 को इस मद में रु0 11.00 लाख अवशेष बची हुई थी, जो कि दिनांक 01.10.12 तक अवशेष पड़ी हुयी थी। अतः अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया कि जब दिनांक 28.07.12 तक संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया था, तो दिनांक 01.10.12 को इस मद में रु0 11.00 लाख कैसे अवशेष था। नगर पंचायत द्वारा दिनांक 28.08.12 को पत्रांक 418 द्वारा भेजे गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार भी रू0 11 लाख अनुदान राशि अनुपयोगित थी। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जब इस मद की राशि का सहायक रोकड़ वही अथवा अनुदान पंजी संधारित नहीं किया गया था तो इस मद में उपयोग की गयी राशि की गणना किस आधार पर की गयी। जवाब में नगर पंचायत द्वारा कहा गया कि अवशेष–राशि सहायक रोकड़ बही में संधारित है। जवाब असंतोषप्रद है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार को गलत उपयोगिता भेजी गयी थी। अतः इस तरह के प्रकृति पर रोक लगायी जानी चाहिए।

## 15. बैरियर लेखा (टॉल–टैक्स वसूली लेखा)

नगर पंचायत राजगीर द्वारा बैरियर लेखा रोकड़वही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा इससे सम्बंधित खाता सं0 1560627059, जोकि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में है, की बैंक विवरणी उपलब्ध कराई गई। बैंक विवरणी के अनुसार वितीय वर्ष 2011–12 में बैरियर खाता में निम्नलिखित संव्यवहार किया गया था:–

1– 4 –2011 को प्रारम्भिक शेष– रु0 5,64,993/–

वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्राप्ति– रु0 30,79,315/–

वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल व्यय– रु0 31,89,467

31.03.2012 को अन्तः शेष– रु0 4,55,281/–

अंकेक्षण में यह नहीं बतलाया गया कि उपरोक्त राशि किस मद से प्राप्त हुई एवं किन–किन मदों पर खर्च की गई। इसका रोकड़वही एवं व्यय अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा जवाब में बगैर प्रस्तुत किए प्रस्तुत करने की बात कही गई जो कि पूर्णतः असत्य है। इस रोकड़बही एवं अभिश्रवों को अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए। तबतक इस मद से भुगतान की गयी राशि रु0 31,85,467.00 को अंकेक्षण अपति के अधीन रखी जाती है।

## 16. करारोपण

### 16(i) नगर पंचायत क्षेत्र के आधे भवनों पर करारोपण नहीं किया जाना

नगर पंचायत, राजगीर में भवनों के माँग एवं सग्रहण पंजी का संधारण नहीं किया गया है। इसके अभाव में नगर क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या एवं उनकी प्रकृति(स्वयं के प्रयोग, किराया अथवा व्यावसायिक) तथा उनपर अधिरोपित भवन करों को ज्ञात नहीं किया जा सका। साथ ही, भवनों का वार्षिक किराया मूल्य तथा उसके क्षेत्रफल का माप भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके कारण भवनों से वसूल किये जा रहे करों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

कार्यालय कर्मियों द्वारा अंकेक्षण में बतलाया गया की भवनों का वार्षिक किराया मूल्य 1957 में निर्धारित किया गया था तथा उसके उपरांत इसका पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है अर्थात 55 वर्षो से इसमें कोई बढोतरी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत, राजगीर द्वारा पत्रांक 528 दिनांक 2.11.12 से नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को भेजे गये प्रतिवेदन के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल होल्डिंग की संख्या 3500 दर्शाई गयी है (जिनपर करारोपण किया गया है) जबकि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 7 मार्च 2011 तक नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 6970 होल्डिंग थे अर्थात लगभग

आधे होल्डिंग पर नगर पंचायत द्वारा करारोण नहीं किया गया था। इसके कारण नगर पंचायत को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले होल्डिंग करों के रूप में औसतन रू0 2.98 लाख की हानि हो रही है।

इस नगर पंचायत में होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का पुननिर्धारण 55 वर्षो तथा सभी होल्डिंग पर करारोपण नहीं करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि भविष्य में करारोपण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि वार्षिक किराया मूल्य को पुननिर्धारित किया जाए तथा सभी होल्डिंग पर करारोपण किया जाए।

**16(ii) जल कर का अधिरोपन नहीं किया जाना**

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(8) के अनुसार जल कर वार्षिक किराया मूल्य के 2% की दर से की जानी है।

परंतु उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत नगर पंचायत के अंकेक्षण में यह पाया गया है कि यहॉ जल कर की वसूली नहीं जा रही है। नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि जलकर लगाया जा रहा है। लेकिन अकेक्षण में को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः जल कर का अधिरोपण सुनिश्चित कर साक्ष्य अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

**16(iii) महत्वपूर्ण करों का करारोपण नहीं**

बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 की विभिन्न धाराओं में नगरपालिका के आंतरिक राजस्व के स्रोत के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसके लिए नगर पालिका को करारोपण का अधिकार दिया गया है। नगर पंचायत, राजगीर के रोकड़–बही की जांच में पाया गया कि इसके आंतरिक (स्वयं) स्रोत से बहुत ही कम राजस्व की वसूली की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में इसके आंतरिक स्रोत से मात्र रू0 13.31 लाख ही प्राप्त हुए है। नगर पालिका के आंतरिक स्रोतों की जांच में पाया गया कि कुछ महत्वपूर्ण निम्न करों का करारोपण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया है:–

क) **भयावह एवं खतरनाक व्यवसाय पर कर** :– नगर पंचायत क्षेत्र मे स्थित आटा चक्की, जेनरेटर, पटाखा दुकानों, आरा मशीन इत्यादि जैसे व्यवसायों पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से प्रतिवर्ष करों की वसूली का प्रावधान है लेकिन इस नगर पंचायत द्वारा इसकी वसूली नहीं की जा रही है।

ख) **टिन टिकट/पंजीकरण नहीं** :– रिक्शा चलाकों, ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी, टमटम इत्यादि जो नगर पंचायत क्षेत्र में चलाये जाते हैं उनपर निर्धारित दर से टिन टिकट के माध्यम से पंजीकरण शुल्क वसूल करना है। नगर पंचायत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टमटम, रिक्शा इत्यादि चलित है, लेकिन उनसे पंजीकरण शुल्क की वूसली नहीं की जा रही थी।

नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि बोर्ड से सहमति प्राप्त कर 'कर' लगाने की प्रक्रिया भविश्य में कर ली जाएगी। अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त करों का करारोपण कर आंतरिक स्रोतों को सुदृढ़ किया जाए।

**16(iv) भवन कर की नगण्य वसूली**

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा भवन कर के मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण भवन करों के माँग एवं संग्रहण को अंकेक्षण में नहीं जॉचा जा सका। इस कार्यालय द्वारा इसके संबंध मे एक विवरण अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मॉग एवं संग्रहण की स्थिति निम्न थी–

| | | |
|---|---|---|
| 01.04.11 को बकाया मॉग | – | 2551545.00 |
| वर्ष का चालू मॉग | – | 300700.00 |
| कुल मॉग | – | 2852245.00 |
| वर्ष के दौरान वसूली | – | 313180.00 |
| 31.03.12 को बकाया मॉग | – | 2539065.00 |

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा करारोपण सभी भवनों (7000 होल्डिंगा) पर अद्यतन दर से नहीं किया गया था। इसके कारण मॉग बहुत ही कम थी। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा 8 कर संग्राहको को संविदा (वसूली का 4%) पर रखा गया था, लेकिन इनके द्वारा मात्र रु0 313180.00 ही वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किया गया जो कुल मॉग का मात्र 11 प्रतिशत है। इतना कम वसूली करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त पत्रांक 528 दिनांक 02.11.12 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि चालू मॉग रु0 1291960.00 है जबकि अंकेक्षण में दिये प्रतिवेदन के अनुसार चालू मॉग मात्र रु0 300700.00 है। इस अंतर का कारण भी अंकेक्षण मे स्पष्ट नहीं किया गया। नगर पंचायत ने जवाब दिया है कि सभी त्रुटियों का निराकरण कर लिया जाएगा।

नगर पंचायत प्रशासन को सूझाव दिया जाता है कि मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण किया जाए तथा वसूली की प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

**16(v) <u>विरायतन पर कर बकाया(रू0 23.71 लाख)</u>**

नगर पंचायत राजगीर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 228/08–09 के अनुसार विरायतन पर 2007–08 तक कुल बकाया कर निम्न प्रकार था–

117

| वर्ष | मकान कर | शौचालय कर | शिक्षा सेस | स्वास्थ्य सेस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | 30,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 | 72,000.00 |
| 1988–89 से 2007–08 (20 वर्ष) | 8,00,000.00 | 4,00,000.00 | 3,20,000.00 | 4,00,000.00 | 19,20,000.00 |
| कुल– | 8,30,000.00 | 4,15,000.00 | 3,32,000.00 | 4,15,000.00 | 19,92,000.00 |

उपर्युक्त बकाया कर रु0 19,92,000.00 के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक (कुल 4 वर्ष) में कुल रु0 3,79,429.00 कर बकाया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| मकान कर (रु0) | शौचालय कर (रु0) | शिक्षा सेस (रु0) | स्वास्थ्य सेस (रु0) | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1,58,095.00 | 79,048 | 63,238 | 79,048 | 3,79,429.00 |

इस प्रकार विरायतन पर वर्ष 2011–12 तक कुल रु0 23,71,429.00 (19,92,000.00 + 3,79,429.00) करो के रूप में बकाया था। नगर पंचायत द्वारा जवाब में बताया गया कि डिमांड नोटिस तामिला करा कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

**16(vi) इण्डों होक्के होटल पर करों का बकाया**

नगर पंचायत राजगीर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 228/08–09 के अनुसार डण्डों होक्के होटल राजगीर पर 2007–08 तक कुल कर (स्वास्थ्य सेस एवं शिक्षा सेस) रु0 8,66,228 का बकाया या जिसका विवरण निम्न है–

| क्र0 सं0 | वर्ष | शिक्षा सेस | स्वास्थ्य सेस |
|---|---|---|---|
| 1 | 1985–86 से 2007–08 तक (कुल 22 वर्ष) | 3,85,000.00 | 4,81,228.00 |

कुल– रु0 8,66,228/

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2011–12 तक (कुल चार वर्ष) कुल करो का बकाया रु0 4,90,000/– था जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| क्र0 सं0 | वर्ष | मकान कर (87500.50%) प्रतिवर्ष | शिक्षा सेस (35,000 प्रतिवर्ष) | स्वास्थ्य सेस (43750 प्रतिवर्ष) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008–09 से 2011–12 (कुल चार वर्ष) | 1,75,000.00 | 1,40,000.00 | 1,75,000.00 |

कुल रु0 4,90,000/– /–

अतः इण्डों होक्के होटल पर वर्ष 2011–12 तक कुल रु0 13,56,228/–(866228 + 4,90,000 ) मकान कर, शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस के रूप में बकाया था। इसके विरूद्ध कितनी राशि नगर पंचायत द्वारा वसूल की गई, अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त राशि वसूल करने की प्रक्रिया शुरु की जाने की बात कहीं गई है। अतः नगर पंचायत उपरोक्त राशि वसूल कर अगले अंकेक्षण में दिखलाए।

**17. होल्डिंग टैक्स वसूली गयी राशि विलम्ब से जमा करना**

नगर पंचायत राजगीर में वसूले गए होल्डिंग टैक्स को लगभग 2–4 माह के विलंब से जमा किया गया था, संबंधित विवरण निम्नलिखित है:–

| रसीद सं0 | टैक्स वसूली की अंतिम तिथि | वसूली गई राशि | जमा की गई तिथि | विलम्ब अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1143–1200 | 31.01.2011 | 13540 | 26.05.11 | 3 माह 26 दिन |
| 1429–1462 | 25.09.2010 | 21220 | 26.05.11 | 8 माह |
| 929–946 | 19.05.2010 | 9017 | 03.07.10 | 2 माह |
| 833–900 | 25.04.2011 | 9530 | 30.07 11 | 3 माह |
| 722–800 | 25.04.2011 | 15088 | 30.07.11 | 3 माह |

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली। 1928 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वसूली गयी राशि को अविलम्ब नगरपालिका निधि में जमा करना है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। प्रत्युत्तर में नगर पंचायत ने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

**18) सैरातों की बंदोबस्ती नहीं**

नगर पंचायत कार्यालय मे परिसंपति पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके अभाव में कुल सैरातो की जानकारी अंकेक्षण में नहीं हो सकी। दैनिक जागरण 11 मार्च 2011 में प्रकाशित सूचना के अनुसार नगर पंचायत राजगीर में कुल 17 सैरातों (13 नगर पंचायत + 04 राजगीर नगर विशेश प्राधिकार) की बंदोबस्ती खुले डाक से करने की सूचना दी गयी थी।

उपरोक्त 17 सैरातों में से क्र0 सं0– 1 से 7 तक के सैरातों के बंदोबस्ती की संचिका तथा श्रावणी मेला के बंदोबस्ती की संचिका (इसे आम सूचना में प्रकाशित नहीं कराया गया था) अर्थात कुल 08 संचिका अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी। शेष 10 संचिकाएँ अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

| क्र0 सं0 | सैरात का नाम | सुरक्षित जमा की राशि नगर पंचायत का सैरात | जमानत की राशि | डाक की तिथि एवं समय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | शौचालय (सूर्यकण्ड के उत्तर) | 5000.00 | 500.00 | 24.03.11, 26.03.11 एवं 29.03.11 |
| 2 | शौचालय (गुरूनानक कुण्ड के सामने) | 6210.00 | 600.00 | –तथैव– |
| 3 | शौचालय (तुरिस्त बंगला नं0 2 लिंक रोड के दक्षिण) | 6325.00 | 600.00 | –तथैव– |
| 4 | शौचालय (मखदुम कुण्ड) | 5000.00 | 500.00 | –तथैव– |
| 5 | शौचालय (गंगा जमुना कुण्ड के पश्चिम) | 5000.00 | 500.00 | –तथैव– |
| 6 | शौचालय (तीरायतन गेट पर) | 5000.00 | 500.00 | –तथैव– |
| | राजगीर नगर निवेशन प्राधिकार का सैरात | | | |
| 7 | खेती योग्य भूमि | 8357.00 | 1000.00 | –तथैव– |
| 8 | फलकर पेड़ | 6440.00 | 1000.00 | –तथैव– |
| 9 | कुण्ड स्थित प्लेटफार्म (49) | 267950.00 | 27000.00 | –तथैव– |
| 10 | शौचालय (कुण्ड पर) | 73025.00 | 7000.00 | –तथैव– |

लेखा परीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि उपर्युक्त 6(छः) शौचालयों के जीर्ण–शीर्ण रहने से उसकी बंदोबस्ती नहीं हो जाती है एवं अन्य 4(चार) सैरात नगर निवेशन प्राधिकार से संबंधित है। अतः उपर्युक्त सैरातों का मरम्मत कराकर उसकी बंदोबस्ती का प्रयास किया जाय।

**18(ii) बंदोबस्ती में रू0 39437 के मुद्रांक शुल्क की राजस्व हानि**

बंदोबस्त किये गये सैरात के संचिकाओं की जाँच में पाया गया कि बंदोबस्तीदारों से बंदोबस्ती का एकरारनामा बंदोबस्ती राशि के 3% के मूल्य के स्टाम्प पेपर पर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संचिका पर किया जाना था, इस हेतु आदेश दिया गया था। इसके कारण राज्य सरकार को रू0 39,437.00 के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है--

| क्र0सं0 | सैरात का नाम | बंदोबस्तधारी का नाम | बंदोबस्ती की राशि(₹) | मुद्रांक शुल्क की राशि(₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कुण्ड के निकट पार्किंग | श्री संजीत कुमार, राजगीर | 825000.00 | 24750.00 |
| 2 | मवेशी फाटक | श्री रमेश कुमार, राजगीर | 25000.00 | 750.00 |
| 3 | होल्डिंग | श्री जय प्रकाश सबलपुर | 17650.00 | 530.00 |
| 4 | शमशान घाट | श्री मुन्ना कुमार सबलपुर | 14400.00 | 432.00 |
| 5 | पेलों पर डिस्पले बोर्ड | श्री राजेश कुमार | 95500.00 | 2865.00 |
| 6 | शौचालय (वीरायतन मोड़) | श्री शिवकुमार सिंह | 26000.00 | 780.00 |
| 7 | शौचालय (सूर्यकुण्ड दक्षिण गेट) | श्री इन्दु कुमार | 41000.00 | 1230.00 |
| 8 | श्रावणी मेला | श्री रणवीर यादव | 270000.00 | 8100.00 |
| | | योग | 1314550.00 | 39437.00 |

नगर पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया है।

अतः मुद्रांक शुल्क रू0 39,437.00 की वसूली हानि के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों से कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।

**19. मोबाईल टावरों पर बकाया रु0 10.82 लाख बकाया**

नगर पंचायत राजगीर में मोबाईल टावर से संबंधित मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसके आभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि नगर पंचायत क्षेत्र में कितने टावर कब से अधिष्ठापित थे।

1113

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण आपत्ति पर प्रस्तुत किये गये विवरणी के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 15 मोबाईल टावर वर्ष 2011–12 तक अधिष्ठापित किये गये थे, जिनपर मार्च 12 तक कुल रु0 4,50,000.00 पंयीजन शुल्क तथा रु0 6,32,000.00 नवीकरण शुल्क के रूप में बकाया था(परिशिष्ट–IV)। नगर पंचायत कार्यालय द्वारा उपरोक्त राशि रु0 10,82,000.00 की बसूली के लिए नगर पंचायत कार्यालय द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। जवाब में नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि वसूली की प्रक्रिया शुरु की जा रही है। इन राशियों को शीध्र वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए।

**20. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि**

**20(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि अन्तर्गत योजनाओं का चयन नहीं**

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अनुदानों से क्रियान्वित कराये जाने वाले योजनाओं का चयन कर तथा उसे बोर्ड से पारित कर जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित करायी जानी थी लेकिन नगर पंचायत बोर्ड की बैठक पंजी एवं संचिकाओं के जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए इस योजनान्र्गत किसी योजना का चयन नगर पंचायत बोर्ड की बैठक में किया गया है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि0 क्षे0 नि0) के रोकड़बही की जॉच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला परिषद, नालंदा से कुल रु0 27.70 लाख इस नगर पंचायत को प्राप्त हुआ था, जिसके संव्यवहार का विवरण नीचे दिया गया है–

01.04.11 को पूर्व शेष– 28,05,577.00

अनुदान से प्राप्ति– 12,41,030.00 (पत्रांक अनुपलब्ध)

15,29,028.00 ( पत्रांक–19BRGF) दिनांक– 04.02.12

बैंक सूद से प्राप्ति– 37,614.00

कुल प्राप्ति– 56,13,249.00

वित्तीय वर्ष 2010–11 की योजनाओं पर व्यय– 21,87,627/–

योजनाओं पर व्यय– 21,87,627.00

31.03.12 को अंतशेष– 34,25,622.00

शेष राशि को सेन्ट्रल बैंक के बचत खाता सं0 3019648803 में रखा गया था, जिसका 31.03.12 को अंतशेष रु0 19,11,102.00 था। अर्थात रोकड़बही एवं बैंक के अंतशेष में रु0 15,14,520.00 का अंतर था।